विप्रम सिंह
भा. पु. से.

अ०शा०पत्रांक : डीजी–परिपत्र संख्या–37/08
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1 – तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांक : मार्च 24, 2008

प्रिय महोदय,

चिकित्सालयों में उपचार हेतु दाखिल किये गये मरीजों की बहुधा उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है। प्रायः ऐसे प्रकरणों को लेकर परिजनों द्वारा धारा–304 ए भादवि में सम्बंधित चिकित्सक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाता है एवं गिरफ्तारी कर ली जाती है।

क्रिमिनल अपील सं. 144 – 145/04 में मा. सर्वोच्च न्यायालय के मा० मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लोहटी की बेंच द्वारा इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए अपने निर्णय में यह उल्लिखित किया गया कि इस प्रकार के कृत्यों से लापरवाही का बहाना लेकर चिकित्सकों का शोषण किया जा रहा है और उनके विरुद्ध अपराधिक अभियोग पंजीकृत कराये जा रहे हैं। मा. सर्वोच्च न्यायालय के मा. सुप्रीम न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में इस प्रकार के मामलों में कार्यवाही के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त भी निर्धारित किये हैं, जिनका सारांश निम्नवत् है :–

"We propose to lay down certain guidelines for the future which should govern the prosecution of doctors for offences of which criminal rashness or criminal negligence is an ingredient. A private complaint may not be entertained unless the complainant has produced prima facie evidence before the Court in the form of a credible opinion given by another competent doctor to support the charge of rashness or negligence on the part of the an independent and competent medical opinion preferably from a doctor in government service qualified in that branch of medical practice who can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion applying Bolam's test to the facts collected in the investigation. A doctor accused of rashness or negligence, may not be arrested in a routine manner (simply because a charge has been leveled against him). Unless his arrest is necessary for furthering the investigation or for collecting evidence or unless the investigation officer feels satisfied that the doctor proceeded against would not make himself available to face the prosecution unless arrested, the arrest may be withheld."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों में कब प्रथम सूचना-रिपोर्ट लिखी जाए और कब किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जाए। मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी औचित्यपूर्ण नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या – 2/98 दिनांक 20 जनवरी, 1998 एवं पत्र संख्या : डीजी–सात(331)/2001 दिनांक 49/22 जनवरी, 2001 के माध्यम से भी कतिपय मार्गदर्शन किया गया था।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी अपने–अपने जनपदों में इन निर्देशों से समस्त थाना प्रभारियों को अवगत करा देंगे तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय के मा. मुख्य न्यायाधीश की बेंच के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करें।

भवदीय

(विप्रम सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ.प्र.।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ.प्र.।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी, उ.प्र.।